तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 11/2013 लालुराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 68 एनपी अपील	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
11.07.2013	वकुलाय फरीकेन हाजिर। बहस पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सं. 2 ता 3 के पिता भीखाराम के नाम दर्ज है। जिसका एक वाद गोविन्द राम वगैरह द्वारा एक वाद अपीलान्ट के पिता भीखाराम के विरूद्व इस न्यायालय में वाद सं. 116/03 दिनांक 23.10.06 को खारिज कर दिया। जिसकी अपील श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में की। इसके पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में जैरकार होने पर उपरोक्त विवादित भूमि बाबत प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया। यह पत्रावली न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। प्रकरण न्यायालय में जैरकार होते हुए भी रेस्पो. सं. 2–3 तथा अपीलान्ट के पिता के नाम से अलग–अलग दर्ज हिस्सानुसार होने पर सरपंच द्वारा दिनांक 21.09.13 स्वीकृत कर दिया गया। सरपंच ग्राम पंचायत 68 एनपी के द्वारा चक 67 एनपी के मु.नं. 4 पं.नं. 246/345 की 6.325 है0 भूमि का इन्तकाल सं. 200 को स्वीकृत कर दिया गया। जो खिलाफ कानून रूहेदाद मिसल एवं वाक्यात होने के कारण काबिल मन्सुख है। रेस्पो. सं. 2–3 पैरवी कर रहे है। उक्त इन्तकाल दर्ज करते समय किसी भी हितबद्ध पक्षकार को सुना नही गया ना ही नोटिस दिया गया। कब्जा बाबत जांच नही की गई। विवादित भूमि का इन्तकाल सं. 200 सरपंच ग्राम पंचायत 68 एनपी दिनांक 21.09.13 चक 67 एनपी के पं.नं. 246/345 मु.नं. 4 के 6.325 है0 का रेस्पो. सं. 2 व 3 तथा अपीलान्ट के पिता के नाम स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सं. 4 ता 11 को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। रेस्पो. सं. 2 व 3 ने राजस्व पटवारी हल्का से मिली भगत उक्त इन्तकाल दर्ज करवायां है। जबकि यह कार्यवाही के विरूद्व है। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अपना मनमर्जी पूर्ण रवैया अपनाते हुए उक्त विधि विरूद्व दर्ज हुए इन्तकाल को व्यक्ति विशेष के नाजायज फायदा पहूंचाने की गई से स्वीकृत किया है। जो काबिल खारिज के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत 68 एनपी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.13 के द्वारा चक 68 एनपी के मु.नं. 4 पं.नं. 246/345 के 6.325 है0 भूमि का इन्तकाल सं. 200 को स्वीकृत को मन्सुख फरमाया जावे। अपील अपीलान्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से आर.आर. पूनियां अधिवक्ता हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट सं. 1–3 बावजूद तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 4 ता 11 की ओर से श्री सुखदेव बुटर अधिवक्ता हाजिर आये। वकील रेस्पोडेंट की ओर से	(सन्दीप कुमार) उप खण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का मय दस्तावेज निर्णय दिनांक 08.09.17 प्र.सं. 13/15 अनवान लालुराम आदि बनाम हरखास व आम आदि बअदालत अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर की प्रति प्रस्तुत की है। जिस पर अपील अपीलान्ट को एतराज न होने पर प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी व 151 सीपीसी का स्वीकार किया गया।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी इन्तकाल खारिज कर दिया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अंकित किया कि 10 बीघा भूमि पर कब्जा हमारे पास है। इन्तकाल खारिज हो जाने पर हमें कोई आपत्ति नही है। इन्तकाल कब्जे में दखल न करे।

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर अवलोकन किया गया। विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता भीखाराम के नाम दर्ज है। रेस्पोडेंट सं. 1 के द्वारा इन्तकाल सं. 200 दिनांक 21.09.13 स्वीकृत करते समय हितबद्ध पक्षो को सुना नही गया ना ही किसी को नोटिस दिया गया। पंचायत का रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 06.01.2011 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.09.07 व इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.10.06 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रेस्पोडेंट का आदेश दिनांक 21.09.13 के द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 200 द्वारा चक 67 एनपी के मु.नं. 4 पं.नं. 246/345 के 6.325 है0 भूमि का निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner